8.5.24 पुकारा पक्षकारान उप.। वकील प्रार्थी ने
निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में अधीनस्थ
अंतरिम अस्थाई आदेश 10.4.12 को
जारी किया गया था। जिस पर मान्य
अप्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने
जवाब पेश करने के अलावा अन्य कोई
एतराज भी नहीं उठाया है। इस पर
अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री धीरज जोशी
ने जवाब देते हुए कहा कि यदि
अंतरिम निषेधाज्ञा को दोनों पक्षों
को यथास्थिति बनाये रखने के संबंध
में जारी किया जाता है तो इन्हें
कोई आपत्ति नहीं है। इस पर प्रार्थी
अधिवक्ता श्री मदन कंवल ने सहमति
व्यक्त की। अत: न्यायालय ने पूर्व
में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
के जरिये दोनों पक्षों को रहन, बैय
हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द
किया गया था। दोनों पक्षों की सहमति
से वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व
में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक

10.4.12 को मूल वाद का निस्तारण होने
तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर न. से कम होकर मूल पत्रावली
के साथ संलग्न हो। [signature]